

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
16/2019/प्रार्थना पत्र 16.01.2019 05.09.2019

उनवान

रामनाथ पिता छोगा कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां

- प्रार्थी

बनाम

- 1- लादू पिता छोगा कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 2- राजू पिता लालू कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 3- परमेश्वर पिता लालू कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 4- गोपाल पिता शंकरलाल सोमाणी नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 5- सुखदेव पिता छीतर कुम्हार नि० उम्मेदपुरा तह० फूलियाकलां
- 6- लालू पिता कालू कुम्हार नि० उम्मेदपुरा तह० फूलियाकलां
- 7- रामचन्द्र पिता छीतर कुम्हार नि० उम्मेदपुरा तह० फूलियाकलां
- 8- रामहेत पिता उगमा कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 9- धनगोपाल पिता खाना कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 10-नाहरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 11-रामधन पिता देबी कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 12-हरिकिशन पिता देबी कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 13-लादू पिता भूरा कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 14-रामदयाल पिता हरचन्द कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां
- 15-भोलू पिता रामचन्द्र जाट नि० झोहरिया तह० फूलियाकलां
- 16-घीसा पिता जालू कीर नि० सरदारपुरा तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी



निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का डोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 102 आ0न0 170 रकबा 0.62 है0, आ0न0 171 रकबा 0.87 है0, आ0न0 172 रकबा 0.99 है0, आ0न0 173 रकबा 0.63 है0, आ0न0 194 रकबा 0.50 है0, आ0न0 267 रकबा 0.25 है0, आ0न0 269 रकबा 0.04 है0, आ0न0 272/487 रकबा 0.06 है0, आ0न0 273/488 रकबा 0.02 है0, आ0न0 357 रकबा 0.37 है0, आ0न0 390 रकबा 0.41 है0, आ0न0 391 रकबा 0.13 है0 कुल किता 12 रकबा 4.89 है0 भूमि स्थित है। पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 16 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अभिभाषक प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 13 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से अप्रार्थी संख्या 13 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 व 14 लगायत 16 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 व 14 लगायत 16 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का डोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 102 आ0न0 170 रकबा 0.62 है0, आ0न0 171 रकबा 0.87 है0, आ0न0 172 रकबा 0.99 है0, आ0न0 173 रकबा 0.63 है0, आ0न0 194 रकबा 0.50 है0, आ0न0 267 रकबा 0.25 है0, आ0न0 269 रकबा 0.04 है0,



आ0न0 272/487 रकबा 0.06 है0, आ0न0 273/488 रकबा 0.02 है0, आ0न0 357 रकबा 0.37 है0, आ0न0 390 रकबा 0.41 है0, आ0न0 391 रकबा 0.13 है0 कुल किता 12 रकबा 4.89 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 12 व 14 लगायत 16 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का डोहरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 102 आ0न0 170 रकबा 0.62 है0, आ0न0 171 रकबा 0.87 है0, आ0न0 172 रकबा 0.99 है0, आ0न0 173 रकबा 0.63 है0, आ0न0 194 रकबा 0.50 है0, आ0न0 267 रकबा 0.25 है0, आ0न0 269 रकबा 0.04 है0, आ0न0 272/487 रकबा 0.06 है0, आ0न0 273/488 रकबा 0.02 है0, आ0न0 357 रकबा 0.37 है0, आ0न0 390 रकबा 0.41 है0, आ0न0 391 रकबा 0.13 है0 कुल किता 12 रकबा 4.89 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाडा



प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा